न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 209/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/224)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 11.11.2021

1. श्री नारायण पिता छोगा गुर्जर, निवासी मांदलदेह, तहसील व जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत, पाण्डोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पाण्डोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6(9)04/648 दिनांक 19.04.2004

निर्णय

दिनांक 11.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (9) 04/648 दिनांक 19.04.2004 के विरूद्ध दिनांक 18.05.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता

दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (9) 04/648 दिनांक 19.04.2004 से मौजा मांदलदेह की वर्तमान आराजी नम्बर 616 मी रकबा 8.00 हैक्टेयर राजकीय प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि वर्तमान आराजी नम्बर 616 मी रकबा 8.00 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर पर अपीलांट का वर्षो पुराना कब्जा होकर भूमि नियमन योग्य थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करते हुए धारा 92 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 2 की अनुशंषा मात्र के आधार पर आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के

अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2004 के तहत मौजा मांदलदेह की अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 616 रकबा 8.00 हैक्टेयर भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अनुशंषा कर दी व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी अधीनस्थ एजेन्सी से जांच रिपोर्ट तलब की जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों ने बिना जांच किये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, व उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजीयात को चरागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। विवादित आराजीयात पर वक्त बिलानाम से अपीलांट के पिता व अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है, व अपीलांट नियमित रूप से काश्त करते हुए जुर्माना राशि अदा करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी अपील पेश करने की अनुज्ञा के साथ अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 19.04.2004 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांट पक्षकार नही था एवं उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रकट नही एवं न ही इसकी कोई साक्ष्य है

अतएवं अपीलांट द्वारा दिये गये दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन एवं अखण्डित शपथ पत्र के कारण मयाद कण्डोन की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिये गये दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर हमारा विवेचन करना वांछनीय है क्योंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था तथा अपील प्रस्तुत करने के लिए उसे आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार आलौच्य निर्णय से होना प्रमाणित करवाना अपीलांट के लिए आवश्यक एवं आज्ञापक है। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि विवादित आराजीयात पर वक्त बिलानाम से अपीलांट के पति व अपीलांट का नियमित कब्जा चला आ रहा है व अपीलांट नियमित रूप से काश्त करते हुए जुर्माना राशि अदा करती चली आ रही है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है जिससे अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नही होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट ने उक्त आवेदन पर यही तथ्य बहस में भी वर्णित कर आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाही है, वही राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं होना बताते हुए आवेदन खारिज कर अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम मांदलदेह की आराजी संख्या 616 मी रकबा 8 हैक्टेयर को चरागाह हेतु आरक्षण का आदेश जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 19.04.2004 को पारित किया है जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में उक्त आराजी संख्या 616 बिलानाम का रकबा 8.76 हैक्टेयर था जिसमें से 0.76 हैक्टेयर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांदलदेह को आवंटन होने के बाद आराजी संख्या 616 का रकबा 8 हैक्टेयर शेष रहता है। अपीलांट द्वारा वर्ष 2014–2015 में आराजी संख्या 616 एवं 575/994 के 0.40 हैक्टेयर

पर अपीलांट का अतिक्रमण होने का खसरा परिवर्तनशिल पेश किया है इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे उक्त भूमि पर बिलानाम रहने के दौरान यानि कि वर्ष 2004 से पूर्व बिलानाम भूमि के रूप में आराजी नम्बर 616 पर उसका अतिक्रमण रहा हो। प्रथमतया तो राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नही होता जब तक कि उसके द्वारा उक्त भूमि को धारण करने हेतु नियमन की पात्रता अर्जित नहीं कर ली हो एवं इस प्रकरण में तो अपीलांट का चरागाह आरक्षण के पश्चात का कब्जा/अतिक्रमण सिर्फ एक वर्ष 2014–2015 की साक्ष्य ही प्रस्तुत है। अपीलांट को विवादित भूमि पर उसका बिलानाम के दौरान कब्जा/अतिक्रमण होकर नियमन की पात्रता रखे जाने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है, तद्नुसार उक्त भूमि को जिला कलक्टर द्वारा चरागाह के रूप में आरक्षित करने के आदेश से हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार नही माना जा सकता एवं अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज कर दिये जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर